FORM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

करम मुकदमा .... नं0 .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
04.06.2019	वादपत्र सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल. आर.एम.पी के तहत हिस्से/खातेदारों कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश/परिपत्र कमांक/बीआर/एलआर/ NLRMP/ एफ.126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसाार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत हिस्से/ खातेदारों कि घोषणा हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कि धारा 88 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आइन्दा वास्ते तलबी दिनांक 18.06.2019 को पेश हो।	
18.06.2019	पत्रावली पेश हुई। सभी पक्षकारगण उप० नहीं होनेसे पत्रावली आगामी पेशी दि०27.6.19 को पेश हो	अ.नि. प्यारा/रूपा
27.06.2019	पत्रावली पेश हुई। भूमिधारी तहसीलदार व प्रतिवादीगण उप०। उप० पक्षकारो ने मौजा आमल्दा आ.न. 144 रकबा 0.26 हे.में सह-खातेदारो के हिस्से दर्ज नहीं होने से आपसी सहमती से हिस्से बताये जो निम्न है। श्री शमकू पत्नि स्व० किशना हि. 1/4 मनोहर रामचंद्र गीता फोरी पि० बेणा, धापू पत्नि स्व० बेणा हि.व का हिस्सा 5/24, गोपाललाल चन्दा ममता शारदा पिता – श्यामलाल, शारदा ना.बा.स.प. भाई गोपाललाल हि.ब. 1/24, प्यारा पि० रूपा का हि. 1/2 बलाई सा.-देह खा० रहन बदस्तुर। सहखातेदारो द्वारा बताये गए हिस्से हमने मजमे आम मे रखा जिनके सही होने की पुष्टि की गई। सहमती स्वरूप मौका पर्चा तैयार कर सभी पक्षकारो के हस्ताक्षर कराये गए।	अ.नि. प्यारा/रूपा गोपाल

Scanned by CamScanner

अत: सहखातेदारो की सहमती, तहसीलदार बेगू की रिपोर्ट व माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के आदेश/परिपत्र क्र./BR/LR/NLRMP/F-126/पार्ट-2/10164-96 दि. 26.09.17 में दिये निर्देशानुसार उक्त खाते में उपरोक्तवर्णितानुसार हिस्से की घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 61/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

वादी

बनाम

1. प्यारा पिता रूपा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
2. झमकु पत्नि स्व. किशना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
3. मनोहर पिता वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
4. रामचन्द्र पिता वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
5. धापू पत्नि स्व. वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
6. गीता दुख्तर वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
7. फोरी दुख्तर वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
8. गोपाल लाल पिता श्यामलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
9. चन्दा पिता श्यामलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
10. ममता पिता श्यामलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
11. शारदा ना.बा. पिता श्यामलाल स.प. भाई गोपाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू

प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1से 11

निर्णय दिनांक : 27.06.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश/परिपत्र/कमांक/ बीआर/ एलआर/एन.एल.आर.एम. पी./एफ–126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया,दिनांक 18.06.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली को आगामी पेशी 27.06.2019 को नियत की गई।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 854 दिनांक 31.05.2019 से अवगत कराया कि ग्राम आमल्दा पटवार सर्कल नन्दवाई में खाता संख्या 65 सम्वत 2071–74 मे अंकित आराजी संख्या 144 रकबा 0.26 हैक्टर भूमि में खाता झमकू पत्नि स्व. किशना मनोहर रामचंद्र पिता वेणा , धापू पत्नि स्व. वेणा गीता फोरी दुख्तर वेणा गोपाल लाल चन्द ममता शारदा पिता श्यामलाल, शारदा ना.बा. स.प. भाई गोपाल लाल , प्यारा पिता रूपा बलाई साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज होकर खातेदारो के हिस्से भूमि दर्ज नहीं है, खातेदारान के हिस्से दर्ज कराये जाने हेतु भूमिधारी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। कोर्ट कैम्प में प्रतिवादीगण दिनांक 18.06.2019 को सभी पक्षकारान के उपस्थित न आने पर पत्रावली को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर दिनांक 27.06.2019 को रखाया गया,प्रतिवादीगण में उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि मौजा आमल्दा में वाद वर्णित आराजी उनकी पैतृक भूमि होकर ऊँकार जी की थी जिनके तीन पुत्र उदा नारायण व रूपा हुए है, रूपा के बजाय प्यारा का नाम विरासत दर्ज हुआ है। उदा के बजाय किशना व वेणा का नाम

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned by CamScanner

दर्ज हुआ है। नारायण फोत के बजाय पुत्र उरजन का नाम एवं उरजन के फोत होने जो कि बैऔलाद फोत हुए है शेष में प्यारा पिता रूपा का 1/2 हिस्सा , उदा के वारिसान का 1/2 हिस्सा बनता है जो घोषणा कराई जावें, उक्त हिस्से कराये जाने के लिए सभी उपस्थित पक्षकारान सहमत हुए।

हमने रेकार्ड का अवलोकन किया, भू–प्रबन्ध सं. 2028 में उक्त आराजी उदा नारायण पिता उँकार, प्यारा पिता रूपा बलाई सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है, ना.सं. 91 से किशना व वेणा का नाम, ना.सं. 369, 262 से किशना व वेणा के वारिसान का नाम विरासत से दर्ज हुआ है। नारायण फोंत होने से ना.सं. 45 से पुत्र उरजन का नाम दर्ज हुआ तथा ना.सं. 263 उरजन के बैऔलाद फोत होकर उदा के वारिसान व प्यारा पिता रूपा का नाम विरासत से दर्ज हुआ है। कोर्ट कैम्प व मजमे आम में जानकारी की गई जिसमें पाया कि वाद वर्णित आराजी मौजा आमल्दा के आराजी संख्या 144 रकबा 0.26 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि होकर उँकार जी के तीन पुत्रो उदा नारायण व रूपा को प्राप्त हुई है जिसमें प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है परन्तु नारायण के बजाय उरजन व उरजन के लाऔलाद फौत होने से सहखातेदार उदा के वारिसान व प्यारा पिता रूपा का नाम दर्ज हुआ है, जो कि ना.सं. 263 से दर्ज हुआ हैं । उदा के वारिसान का 1/2,व प्यारा पिता रूपा का 1/2 हिस्सा बनता है। मौके पर सजरा बनाया गया तथा उक्तानुसार हिस्से दर्ज किये जाने हेतु सभी पक्षकार सहमत हुए जिससे वाद वादी अ.धा. 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 व सह धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा नंदवाई के खाता सं. 65 सम्वत 2071–74 में अंकित आराजी नं. 144 रकबा 0.26 हैक्टर मे दुरूस्ती की जाकर श्री झमकू पत्नि स्व. किशना हिस्सा 1/4, मनोहर रामचंद्र गीता फोरी पिता वेणा , धापू पत्नि स्व. वेणा हि.ब. का हिस्सा 5/24, गोपाल लाल चन्दा ममता शारदा पिता श्यामलाल, शारदा ना.बा.स.प. भाई गोपाल लाल हि.ब. 1/24 हिस्सा एवं प्यारा पिता रूपा का 1/2 हिस्सा जाति बलाई रहन बदस्तुर रखते हुए खातेदारो के हिस्से दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

27/6/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 61/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

वादी

बनाम

1. प्यारा पिता रूपा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
2. झमकु पत्नि स्व. किशना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
3. मनोहर पिता वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
4. रामचन्द्र पिता वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
5. धापू पत्नि स्व. वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
6. गीता दुख्तर वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
7. फोरी दुख्तर वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
8. गोपाल लाल पिता श्यामलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
9. चन्दा पिता श्यामलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
10. ममता पिता श्यामलांल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
11. शारदा ना.बा. पिता श्यामलाल स.प. भाई गोपाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपरिथिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 27.06.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश चन्द्र सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा नंदवाई के खाता सं. 65 सम्वत 2071-74 में अंकित आराजी नं. 144 रकबा 0.26 हैक्टर मे दुरूस्ती की जाकर श्री झमकू पत्नि स्व. किशना हिस्सा 1/4, मनोहर रामचंद्र गीता फोरी पिता वेणा , धापू पत्नि स्व. वेणा हि.ब. का हिस्सा 5/24, गोपाल लाल चन्दा ममता शारदा पिता श्यामलाल, शारदा ना.बा.स.प. भाई गोपाल लाल हि.ब. 1/24 हिस्सा एवं प्यारा पिता रूपा का 1/2 हिस्सा जाति बलाई रहन बदस्तुर रखते हुए खातेदारो के हिस्से दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

27/6/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner